प्रेषक

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ दिनांक 01 मई, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार से मदर सेंक्शन के रूप में प्रथम किश्त की अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-10000.00 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0 5095.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-3396.67 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-8491.67 लाख तथा नॉन शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु रू0-3700.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-12191.67 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-05/बजट/2025-26, दिनांक-17.04.2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के पत्र सं0-एफ.नं0-एफ.एम.-11/5/2020-डीएस(एफएमई)-पार्ट(1) दिनांक 17.04.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार से मदर सेंक्शन के रूप में प्रथम किश्त की अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-10000.00 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0 5095.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-3396.67 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-8491.67 लाख तथा नॉन शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु रू0-3700.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-12191.67 लाख (एक आरब इक्कीयस करोड़ इक्यानबे लाख सड़सठ हजार मात्र) को अवमुक्त को अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.04.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।

(3) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्तं नियंत्रक का होगा।

(4) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्तत नियंत्रक का उत्तरदायित्व होगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

.....2/-

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षर 2401001190104 (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के. रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	27 सब्सिडी	84,91,67,000 (रुपये चौरासी करोड़ इक्यानबे लाख सड़सठ हजार मात्र)
	कुल		84,91,67,000 (रुपये चौरासी करोड़ इक्यानबे लाख सड़सठ हजार मात्र)	

लेखाशीर्ष 2401001190105 (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.00-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190105 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.00-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9,50,00,000 (रुपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र)
2	010	2401001190105 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.00-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल		13,00,00,000 (रुपये तेरह करोड़ मात्र)	

लेखाशीर्ष 4401001190102 (प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.0-के))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	4401001190102 प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.0-के)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	24,00,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ मात्र)
	कुल		24,00,00, 000 (रुपये चौबीस करोड़ मात्र)	
महायोग		1,21,91,67, 000 (रुपये एक अरब इक्कीस करोड़ इक्यानबे लाख सड़सठ हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-4-X-2025-26-दिनांक:25-4-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-06 /2025/380/58-2-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)
अनु सचिव।